डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 19/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ/सामान्य पत्राचार/2023-24

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

<u>आदेश संख्या 19/2024-25</u>

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003,

जारी करने की तारीख: 28 मार्च, 2025

विषय : स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग एवं विमान में ईंधन की आपूर्ति (सीजीएफ) सेवाओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2025 तक बढ़ाने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

ऐरा के दिनांक 26 सितम्बर, 2024 के आदेश संख्या 10/2024-25 के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति से संबंधित सेवाओं के संबंध में, अंतरिम आधार पर, 01.10.2024 से 31.03.2025 तक 06 (छ:) माह की अवधि के लिए या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तत्कालीन प्रचलित टैरिफ लगाने की अनुमति दी गई।

तालिका क:

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	हवाईअड्डा
(क)	**<u>कार्गो हैंडलिंग सेवाएं</u>**	
1	राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	जयपुर
2	जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल)	मोपा, गोवा
3	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस)	कोलकाता
4		चेन्नई
5		मंगलौर
6		त्रिचि
7		पटना
8		पुणे
9		अमृतसर

10	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस)	भुवेनश्वर
11		डेबोलिम, गोवा
12		गुवाहाटी
13		जयपुर
14		वाराणसी
15		इंदौर
16		कोयम्बटूर
17		पोर्ट ब्लेयर
18		श्रीनगर*
(ख)	**फ्यूल फार्म और आईटीपी सेवाएं**	
19	बीपीसीएल कन्नूर फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल)	कन्नूर
20	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	मोपा, गोवा
(ग)	**ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं**	
21	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	चेन्नई
22		कालीकट
23		कोलकाता
24		अहमदाबाद
25		कोचीन
26		गुवाहाटी
27		अमृतसर
28		भुवनेश्वर
29		चंडीगढ़
30		डेबोलिम, गोवा
31		जयपुर
32		पटना
33		पुणे
34		वाराणसी
35		लखनऊ
36		श्रीनगर
37		कोयम्बटूर
38		त्रिचि
39		इंदौर

40	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	रायपुर
41		कन्नूर

**श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एएआईसीएलएएस के लिए तदर्थ टैरिफ अब केवल अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए ही बढ़ाई जा रही है।*

2. इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने अलग-अलग अंतरिम टैरिफ आदेशों के अंतर्गत, निम्नलिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए कार्गो सुविधा के संबंध में अंतरिम उपाय के रूप में 31.03.2025 तक या उनसे संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ टैरिफ को भी मंजूरी दी थी।

तालिका ख

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	आदेश संख्या एवं दिनांक	सेवाएं	हवाईअड्डा
1.	एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस)	दिनांक 19.08.2024 का आदेश संख्या 05/2024-25	एक्सप्रेस कूरियर कार्गो	बैंगलुरू
2.	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	दिनांक 05.06.2024 का आदेश संख्या 01/2024-25	अंतरराष्ट्रीय कार्गो	चैन्नई
3.	जीएसईसी लिमिटेड	दिनांक 30.09.2024 का आदेश संख्या 11/2024-25	निर्यात कार्गो हैंडलिंग	अहमदाबाद

3 कुछ उपर्युक्त स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए टैरिफ निर्धारण का कार्य अभी जारी है और शेष स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं से एमवाईटीपी अभी प्राप्त किया जाना है। इसलिए, उपर्युक्त तालिकाओं में उल्लिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच, अंतरिम उपाय के रूप में, प्राधिकरण निर्णय लेता है कि उपर्युक्त तालिकाओं में उल्लिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं को प्रचलित टैरिफ (31.03.2025 को लागू) 01.04.2025 से 30.09.2025 तक, छ: (06) माह की अगली अवधि के लिए या, उपर्युक्त सेवा प्रदाताओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, लगाने की अनुमति दी जाए।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) उपर्युक्त तालिका 'क' एवं 'ख' में सूचीबद्ध विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो सुविधा/ग्राउंड हैंडलिंग/ विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले **स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं** को मौजूदा टैरिफ (31.03.2024 को लागू मौजूदा) की वसूली **01.04.2025 से 30.09.2025 तक** अगले छ: (6) माह की अवधि, या ऊपर उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधित प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रचालन कर रहे संबंधित स्वतंत्र सेवा प्रदाता एमवाईटीपी समय पर प्रस्तुत करें।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक ऊपर उल्लिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के संबंध में इस अंतरिम आदेश को सभी हितधारकों के सूचनार्थ अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

स्वतंत्र सेवा प्रदाता/हवाईअड्डा प्रचालक – (संलग्नक I और II के अनुसार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003**